# जनपद शामली पुलिस

## --सोशल मीडिया सेल शामली--

**प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक-15.04.2025**

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इस्सोपुर खुरगान में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 डण्डे बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 01.03.2025 को वादी श्री इन्सार पुत्र मेहन्दी हसन निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के ताऊ के लड़को द्वारा एक राय होकर जानलेवा हमला करने व गाली गलौच व मारपीट करने के सम्बन्ध थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में दिनाँक 15.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इस्सोपुर खुरगान में गाली गलौज, मारपीट व जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। दो अभियुक्तो के कब्जे 02 डंडे बरामद हुए है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं। शीघ्र ही शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अफसर पुत्र रसीद निवासी ग्राम नया गांव खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
2.असलम पुत्र रसीद निवासी ग्राम नया गांव खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
3.सलमान पुत्र आजम निवासी ग्राम नया गांव खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
4.मारूफ पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम अखबरपुर सुनहेटी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

1.दो डंडे (अभियुक्तगण अफसर व असलम ) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 सतीश प्रकाश थाना कैराना जनपद शामली।
2.उ0नि0 सुभाषचन्द थाना कैराना जनपद शामली।
3.है0का0 रिंकू थाना कैराना जनपद शामली।
4.है0का0 कुलवन्त थाना कैराना जनपद शामली।
5.है0का0 नितिन त्यागी थाना कैराना जनपद शामली

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग, मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 01.04.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षो में एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व मारपीट की घटना हुई थी। घटना का संज्ञान लेकर थाना कैराना पुलिस द्वारा 17 नामजद व कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा मय कारतूस 315 बोर

बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्तगण मनव्वर पुत्र अकील व परवेज उर्फ भट्टी पुत्र इस्लाम को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.याहया उर्फ यहिया पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला आलखुर्द नौगजापीर के पास, भूरा चुंगी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 337/2024 धारा 307/452/506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 सतीश प्रकाश थाना कैराना जनपद शामली।
2.उ0नि0 सुभाषचन्द थाना कैराना जनपद शामली।
3.है0का0 रिंकू थाना कैराना जनपद शामली।
4.है0का0 कुलवन्त थाना कैराना जनपद शामली।
5.है0का0 नितिन त्यागी थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना कांधला पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 15.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व मे थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना कांधला पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.बिलाल पुत्र अखलाक निवासी मौहल्ला खैलकला खुरगान रोड थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0156/24 धारा 379/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामंली।
2.मु0अ0सं0 158/24 धारा 414/420/465 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 271/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
4.मु0अ0सं0 280/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.है0का0 अमित सांगवान थाना झिंझाना जनपद शामली।
3.का0 शान्तनु यादव थाना झिंझाना जनपद शामली

प्रेस नोट

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 15.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.सतपाल पुत्र मुकन्दा निवासी ग्राम भडी थाना झिझाना जनपद शामली।

2.कलीम पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला आर्यपुरी कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।